"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023 — आषाढ़ 28, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 28, 1945)

क्रमांक – 7381/वि.स./विधान/2023. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) जो बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्र.12 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023.

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी के सरल कमांक 25 में, शब्द "राज्य योजना मंडल" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये ।

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, वित्त एवं योजना विभाग (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी), मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ8–7/2010/23/वि.यो., दिनांक 30 जुलाई, 2010 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है, अतएव, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) की अनुसूची के मद 19 की सारणी के सरल क्रमांक 25 में, शब्द "राज्य योजना मंडल" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना आयोग" प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ऐसे पदों के धारक, विधानसभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निरर्हित न हो ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रविन्द्र चौबे,
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

स्थान रायपुर
तारीख 15 जुलाई, 2023

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (कमांक 16 सन् 1967) की अनुसूची के मद 19 के सरल क्रमांक 25 का सुसंगत उद्धरण :–

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

(धारा 3 (1) देखिये)

* *

25. राज्य योजना मण्डल

* *

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.